पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 789 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–6 दिनांक : 07.04.2021

विषयः–माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड में योजित WP(PIL) No. 93/2019 आर0टी0आई0 क्लब उत्तराखण्ड बनाम उपाकालि व अन्य के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण–वितरण अधिकारी
पिटकुल................... ।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 433/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईडब्लू–6 दिनांक 24.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, यूजेवीएन लि0 एवं उ0पा0का0लि0 के संयुक्त हस्ताक्षरित कार्यालय ज्ञाप संख्या 5391/UPCL/RM/N-36 Dated 17.07.2020, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल के कार्यालय पत्रांक 432/प्र0नि0/पिटकुल/एचआर दिनांक 19.02.2021 एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून के पत्रांक 506/यूपीसीएल/आर.एम./ई–25 दिनांक 17.02.2021 की छायाप्रतियां संलग्न करते हुये निर्देशित किया गया था कि :–

"पिटकुल में कार्यरत कार्मिकों सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेन्शनरों के मीटर की वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर नियममित रूप से बिलिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं नियामक) द्वारा सम्पादित कराते हुये इसकी मासिक रिपोर्ट यूपीसीएल के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को नियमित रूप से प्रेषित की जाये। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) द्वारा निदेशक (मानव संसाधन) को अवगत कराया जाएगा एवं निदेशक (मानव संसाधन) यथोचित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर वाणिज्य एवं नियामक स्कन्ध के सम्बन्धित अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना के सीधे उत्तरदायी होंगे।"

तदोपरान्त इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.02.2021 के क्रम में महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल के पत्रांक 452/म0प्र0(वि0)/पिटकुल/लेखास्कन्ध दिनांक 15.03.2021 द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रतिमाह स्थायी व्यय से सूचित करते हुये पिटकुल के समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पेन्शनरों के विभागीय विद्युत संयोजन पर उक्त व्यवस्था दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी करते हुये प्रतिमाह स्थायी व्यय उनके वेतन से कटौती करने तथा साथ ही दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 28.02.2021 तक के अन्तर की धनराशि की एक मुश्त कटौती माह 03/2021 के वेतन से जो कि माह 04/2021 में भुगतान होना है से वसूली किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित कार्मिक एवं उनके आहरण–वितरण अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त की अनुपालन आख्या निदेशक (मा0सं0) के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 09.04.2021 तक अवश्यमेव इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र की प्रति पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)